झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा

त्रयोदश (मानसून) सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 26 आषाढ़, 1940 (श0) / 17 जुलाई, 2018 (ई0) को

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0 स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
01.	ख–02	श्री आलोक कु0 चौरसिया	माईन्स को चालू करना	खान एवं भूतत्व	09.07.18
02.	वन–06	श्री साधु चरण महतो	भूमि को वापस दिलाना	वन, पर्या0एवं जलवायु परिवर्तन	10.07.18
★ 03.	वन–01	श्रीमती निर्मला देवी	नौकरी एवं मुआवजा देना	वन से कल्याण विभाग में स्थानांतरित	07.07.18
04.	शि0–08	श्री आलमगीर आलम	विलय आदेश स्थगित करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10.07.18
05.	शि0–01	श्री अमित कु0 मंडल	नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करना	"	07.07.18
06.	उ0–01	श्री भानु प्रताप शाही	सिमेन्ट फैक्ट्री लगाना	उद्योग	07.07.18
07.	टन–06	श्रीमती जोबा मांझी	स्टेडियम का निर्माण	पर्य0, कला सं0 खेल–कूद एवं युवा कार्य	10.07.18
08.	टन–01	श्री जगरनाथ महतो	कार्य पूर्ण कराना	"	07.07.18
09.	शि0–04	श्री रबीन्द्रनाथ महतो	सीट बढ़ाना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	09.07.18
10.	ख–01	श्री भानु प्रताप शाही	खदान चालू करना	खान एवं भूतत्व	07.07.18
11.	टन–08	श्री पौलुस सुरीन	पर्यटकीय सुविधा देना	पर्य0, कला सं0 खेल–कूद एवं युवा कार्य	10.07.18
12.	वन–04	श्री राधाकृष्ण किशोर	वन भूमि का हस्तान्तरण	वन, पर्या0एवं जलवायु परिवर्तन	10.07.18
13.	उत–02	श्री अरूप चटर्जी	स्नातकोत्तर की पढ़ाई कराना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	09.07.18

कृ0पृ0उ0

★ तारांकित प्रश्न-03 (वन-1), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ज्ञापांक-2912, दिनांक-11/07/18 के द्वारा कल्याण विभाग में स्थानांतरित।

01.	02.	03.	04.	05.	06.
(उत्तर संख्या)					
14.	टन–09	श्री पौलुस सुरीन	स्टेडियम का निर्माण	पर्य0, कला सं0 खेल–कूद एवं युवा कार्य	10.07.18
15.	वन–05	श्रीमती विमला प्रधान	स्थायी हल निकालना	वन, पर्या0एवं जलवायु परिवर्तन	10.07.18
16.	वन–02	श्री अमित कुमार मंडल	झार पार्क में अधिग्रहित कराना	वन, पर्या0एवं जलवायु परिवर्तन	07.07.18
17.	शि0–06	श्री फूलचन्द मंडल	उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	09.07.18
18.	शि0–03	श्री रामकुमार पाहन	विद्यालय भवन की मरम्मति	,,	07.07.18
19.	शि0–07	श्री फूलचन्द मंडल	विद्यालय भवन का निर्माण	,,	09.07.18
20.	शि0–05	श्रीमती सीता सोरेन	शिक्षकों का पदस्थापन करना	,,	09.07.18
21.	शि0–09	श्रीमती बबीता देवी	स्थापना अनुमति देना	,,	10.07.18
22.	टन–03	श्री आलोक कु0 चौरसिया	सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार	पर्य0, कला सं0 खेल–कूद एवं युवा कार्य	09.07.18
23.	उत–01	श्री शशि भूषण सामाड़	कमिटी गठित करना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	07.07.18
24.	टन–05	श्रीमती सीमा देवी	कार्य पूर्ण कराना	पर्य0, कला सं0 खेल–कूद एवं युवा कार्य	10.07.18
25.	टन–07	श्री प्रकाश राम	पर्यटकीय क्षेत्र घोषित करना	पर्य0, कला सं0 खेल–कूद एवं युवा कार्य	10.07.18
26.	टन–04	श्रीमती विमला प्रधान	स्टेडियम बनाना	पर्य0, कला सं0 खेल–कूद एवं युवा कार्य	10.07.18
27.	टन–02	श्री कुणाल षड़ंगी	सीढ़ी निर्माण कराना	पर्य0, कला सं0 खेल–कूद एवं युवा कार्य	07.07.18
28.	शि0–02	श्री दशरथ गागराई	कार्रवाई करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	07.07.18
29.	वन–03	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करना	वन, पर्या0एवं जलवायु परिवर्तन	09.07.18

राँची
दिनांक–17 जुलाई, 2018 (ई0)

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04/2015– 3187 /वि0स0, रांची, दिनांक– 12/07/18

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रांची।
क0प्र0उ0

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04/2015–3187/वि0स0, रांची, दिनांक– 12/07/18

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव (प्रश्न) संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान–सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04/2015–3187/वि0स0, रांची, दिनांक– 12/07/18

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा/ वेबसाईट शाखा एवं ध्यानाकर्षण समिति शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, रांची।

उमा/

12-07-18

(01)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–02

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:– माननीय मंत्रीः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि आर्थिक औद्योगिक नीति के अन्तर्गत पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत सोकरा ग्रेफाईड माईन्स 1982 से बंद पड़े है, उक्त खदानों के बंद हो जाने से छटनीग्रस्त 455 मजदूरो का बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं होने से ये भूखमरी के कगार पर आ खड़ा हो गये है तथा पलायन के लिए मजबूर हो गये है;	उत्तर अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिलान्तर्गत चैनपुर प्रखण्ड के सोकरा माईन्स जिसका खनन पट्टा दिनांक 04.05.1954 से 20 वर्षो के लिए स्वीकृत था उसका नवीकरण आवेदन तत्कालीन नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत Statutory Clearance के अभाव में दिनांक 05.06.1980 को अस्वीकृत कर दिया गया।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त माईन्स का संचालन कुमार ब्रदर्स एण्ड कंपनी द्वारा संचालित थी तथा मजदूरों द्वारा बकाया भुगतान को लेकर श्रमायुक्त, राँची द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में भुगतान करने के बहाने माईन्स पर खुब उपद्रव हुआ जिसमें दो मजदूर घायल भी हुए, पलामू प्रशासन के श्रमायुक्त द्वारा मामला दर्ज हुआ, सर्वोच्च न्यायालय निचली न्यायालय द्वारा बकाया राशि भुगतान के साथ नियुक्त करने का आदेश मजदूरों के पक्ष मे आया;	इस विभाग से संबंधित नहीं है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्क है तो क्या सरकार पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड के सोकरा ग्रेफाईड माईन्स में कार्यरत मजदूरों के बकाया राशि का भुगतान कराने तथा पुनः बंद पड़े ग्रेफाईड माईन्स को पुनः चालू करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा प्रख्यापित Mineral Auction Rule के अन्तर्गत खनिज अनुदान की कार्रवाई संभव है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः– वि0स0(ता0)–03/2018 120 /एम, राँची, दिनांक– 16.7.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3086 दिनांक 09.07.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18
सरकार के उप सचिव

(02)

श्री साधु चरण महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.07.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–06 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत आदित्यपुर एन0ए0सी0 क्षेत्र वार्ड न0–4 के मौजा भाटिया के प्लॉट न0–36, 35, 40 (अंश) के कुल रकवा–4.30 एकड़ भूमि तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी चाईबासा का ज्ञापांक–3668, दिनांक–31/01/68 एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी सरायकेला का पत्रांक–966, दिनांक–19/11/68 द्वारा श्री सहदेव महतो ग्राम–नया आसंगी थाना– आदित्यपुर के पक्ष में उक्त भूमि को वन भूमि से निष्कासित किया गया था तथा बाद में फिर अवैध तरीके से वन विभाग क्षरा उक्त भूमि को वर्ष 1978 में आयडा को हस्तांतरित किया गया। जिस कारण श्री सहदेव महतो को न जमीन का मुआवजा मिल पाया और न ही जमीन,	अस्वीकारात्मक। मौजा भाटिया में कोई वनभूमि सहदेव महतो ग्राम–आसंगी के पक्ष में विमुक्त नहीं किया गया। मौजा भाटिया का प्लॉट संख्या–35, 40 अधिसूचित वन भूमि है, जिसका अधिसूचना संख्या–पी0एफ0–17080/54–4265–आर0 दिनांक–14.10.1954 है, जो आयडा को हस्तान्तरित है। अभिलेखों के अनुसार प्लॉट नं0–36 वन भूमि नहीं है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त भूमि को आयडा क्षेत्र से मुक्त करते हुए श्री सहदेव महतो को वापस दिलाने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लागू नहीं।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–72/2018– 2997 व0प0, राँची, दिनांक– 16/07/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–3125 दिनांक–10.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/7/18

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

(7)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री आलमगीर आलम, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-08

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत पाकुड़ प्रखण्ड में उर्दू मध्य विद्यालय, हिरणडांगा बाजार, पाकुड़ एक मात्र उर्दू मध्य विद्यालय है, जहाँ हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय को छोड़कर शेष सभी विषयों की पढ़ाई उर्दू लिपि में होती है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि सिर्फ उर्दू विषय की पढ़ाई ही उर्दू में होती है।
2.	क्या यह बात सही है कि उर्दू मध्य विद्यालय, हिरणडांगा बाजार, पाकुड़ का विलय (Merge) मध्य विद्यालय, हिरणडांगा पाकुड़ में कर दिया गया है, जहाँ अंग्रेजी विषय को छोड़कर शेष सभी विषयों की पढ़ाई देवनागरी लिपि में होती है, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत 226 उर्दू भाषी छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है;	अस्वीकारात्मक। उर्दू भाषी बच्चे पूर्ववत् अध्ययनरत हैं। सक्षम समितियों के द्वारा लिए निर्णय के अनुरूप ही युक्तिकरण किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उर्दू मध्य विद्यालय हिरणडांगा बाजार, पाकुड़ का विलय (Merge) आदेश को स्थगित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ....1178................/ राँची, दिनांक ......16/07/..2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3116 दिनांक 10.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(05)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री अमित कुमार मंडल, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-01

क्रमांक	प्रश्न **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -**	उत्तर **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रशिक्षित योग्यताधारी B.T एवं B.E.D युवकों ने झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (जैक) द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या-47/2016 के आलोक में वर्ग एक से लेकर आठ वर्ग के लिए 2 लाख आवेदन प्राप्त हुआ था उक्त के आलोक में वर्ग एक से पाँच तक 16 हजार एवं वर्ग छः से आठ में 36 हजार अभ्यार्थी उत्तीर्ण हुए थें;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद्ए राँची द्वारा विज्ञापन संख्या.–47/2016 के आलोक में आयोजित टेट परीक्षा में वर्ग 1 से 5 के लिए 90,361 तथा वर्ग 6 से 8 के लिए 1,60,029 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से वर्ग 1 से 5 तक के लिए 16530 एवं वर्ग 6 से 8 के लिए 36307 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के योग्यताधारी के लिए वर्ष 2013 में भी परीक्षा ली गई थी जिसके परिणाम के बाद सभी का स्थायी नियुक्ति सरकार ने कर दी थी;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा मात्र एक अहर्ता परीक्षा है। इसकी अधिमान्यता 5 वर्ष की होती है। विज्ञापित रिक्तियों के विरूद्ध आवेदक आवेदन करते हैं तथा प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निर्णय लेने हेतु जिला शिक्षा स्थापना समिति सक्षम प्रधिकार है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रशिक्षित युवाओं के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अंतिम उम्र 45 वर्ष है, जिसके पश्चात् ऐसे प्रशिक्षितों को सरकारी नौकरी हेतु आवेदन के अयोग्य श्रेणी में आ जाते है;	वस्तुस्थिति यह है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभग, झारखण्ड, राँची तथा प्रशासी विभाग द्वारा संबंधित संवर्ग की नियुक्ति नियमावली में उम्र सीमा के प्रावधान निर्धारित किये जाते हैं।
4.	क्या यह बात सही है कि प्रशिक्षित B.T एवं B.E.D उत्तीर्ण के प्रमाण पत्रों की वैद्यता 5 वर्ष की होती है;	अस्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) उत्तीर्ण छात्रों की उम्र सीमा, प्रमाण–पत्रों की वैद्यता की समय सीमा को देखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जो वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में प्रारंभ की गई थी, से संबंधित अद्यतन कतिपय मामले माननीय उच्च न्यायालय में विचारणीय रहने तथा न्यायदेश के क्रम में इस प्रक्रिया का अद्यतन अंतिमीकरण नहीं किया जा सका है।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व3-01/2018.....1181..... राँची, दिनांक .....16/07/.....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3001 दिनांक 07.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(6)

श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स० द्वारा दिनांक–17.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–01की उत्तर–सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान सरकार के पहल पर भवनाथपुर घाघरा चुना पत्थर सहित सैकड़ो एकड़ जमीन आर0एम0डी0 सेल के द्वारा झारखण्ड सरकार को देने की सहमति मिल चुकी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। सेल के द्वारा भवनाथपुर में धारित चूना पत्थर के खनन पट्टों के विधिवत प्रत्यार्पण की कार्रवाई की प्रकिया की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार भवनाथपुर में उक्त जमीन पर सिमेन्ट फैक्ट्री लगाने का विचार रखती है;	अस्वीकारात्मक। निजी क्षेत्र की कम्पनियों से इस हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर JIIPP-2016 के प्रावधानों तहत कार्रवाई की जाएगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त स्थल पर सिमेन्ट फैक्ट्री लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं , तो क्यों?	यथोक्त।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक :– 01/अ0सू0प्रश्न–10–02/2018 109 **राँची, दिनांक:** 14.07.18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–2994 दिनांक–07.07.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

सरकार के संयुक्त सचिव

(7)

श्रीमती जोबा माझी, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 17.07.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–06 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती जोबा माझी, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खुंटपानी प्रखण्ड के लोहरदा पंचायत में खेल मैदान एवं स्टेडियम का घोर अभाव है;	आंशिक अस्वीकारात्मक। पश्चिमी सिंहभूम के खूंटपानी प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2008–09 में एक प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम स्वीकृत एवं पूर्ण है।
2	क्या यह बात सही है कि लोहरदा पंचायत में स्थित मौजा कोटसोना (टोला–तोन्डागसाई) में मौजूद खाता संख्या–1, प्लाट संख्या–2268, रकबा–3 एकड़ में सार्वजनिक स्टेडियम का निर्माण होने से पंचायत के सभी खिलाड़ियों को काफी लाभ होगा;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में वर्णित प्लॉट एवं गाँव मे सार्वजनिक स्टेडियम का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग में चलत परिपाटी के अनुसार सामन्यतः प्रखण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर ही स्टेडियम तथा अन्य खेल संरचनाओं का निर्माण कराया जाता है, परन्तु वर्त्तमान समय में पंचायत स्तर पर भी स्टेडियम निर्माण का विचार है जिस हेतु सभी जिलो से प्रतिवेदन की मांग की गई है। वांछित प्रतिवेदन प्राप्तोपरान्त स्टेडियम निर्माण पर नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–57/2018 976 / राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 3120/वि०स० दिनांक 10.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(8)

श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 17.07.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–01 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री जगरनाथ महतो, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ था, जो अभी तक अपूर्ण है;	स्वीकरात्मक। वित्तीय वर्ष 2008–09 में विभाग द्वारा डुमरी प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गई थी।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित डुमरी प्रखण्ड स्थित निर्माणाधीन स्टेडियम पूरा नहीं होने से खेल प्रतिभा कुंठित हो रही है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निर्माणाधीन कार्य को पूरा कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्टेडियम निर्माण के निमित्त भू–अर्जन हेतु पूर्व में राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। पुनः जिला से भू–अर्जन हेतु ही अतिरिक्त राशि की मांग की गई है, जिस क्रम में विभाग द्वारा कतिपय सूचनाओं की मांग जिला से की गई है जिसके प्राप्तोपरान्त याचित राशि का आवंटन कर योजना पूर्ण करायी जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–51/2018 978 / राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 3004/वि०स० दिनांक 07.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(9)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री रबीन्द्रनाथ महतो, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-04

क्रमांक	प्रश्न **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -**	उत्तर **डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत कस्तुरबा आवासीय बालिका विद्यालय नाला एवं कुण्डहित में बच्चियों के लिए सभी कोटि का सीट सीमित रहने के कारण अधिकतर बच्चियों का नामांकन नहीं हो पाता है, जिससे वे उक्त स्कूल में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं के लिए नामांकन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कक्षा 6 से 8 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित 100 सीटों में 50 सीट की वृद्धि करते हुए उसे 150 कर दिया गया है। 2. कक्षा 6 एवं 9 में पूर्व में 75–75 सीट निर्धारित था, जिसको राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में 25–25 सीटों की वृद्धि करते हुए 100–100 सीट कर दिया गया है। 3. उपरोक्त सीटों पर 75 प्रतिशत पर अ.जा., अ.ज.जा., पिछड़ा वर्ग, अल्संख्यक एवं 25 प्रतिशत पर गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों का नामांकन निर्धारित कोटा के अनुसार किया जाता है। उक्त विद्यालयों में क्रमशः 392 तथा 351 छात्राएँ अध्ययनरत है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त दोनों स्कूलों में सभी काटि के सीमित सीट को बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है।

अकुसिंह 16/7/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ....1177........../ राँची, दिनांक ....16/07/..2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3077 दिनांक 09.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुसिंह 16/7/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(10)

श्री भानु प्रताप शाही, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–01

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

माननीय मंत्रीः–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि गढ़वा जिला के रमुना प्रखण्ड अन्तर्गत चानाबरहिया में लाईम स्टोन का विशाल भंडार है;	आंशिक स्वीकारात्मक। गढ़वा जिला के रमुना प्रखण्ड अन्तर्गत चाना ग्राम के इर्द–गिर्द लगभग 90–95 एकड़ क्षेत्रों में जमीन के सतह पर Sporadic Patches के रूप में डोलोमाईट/लाईम स्टोन के निक्षेप पाये गये है। ग्राम बरहिया एवं इसके इर्द–गिर्द डोलोमाईट/लाईम स्टोन के किसी प्रकार का कोई निक्षेप पाये जाने की सूचना नहीं है।
2-	क्या यह बात सही है कि चानाबरहिया लाईम स्टोन चालू हो जाने से राजस्व के साथ–साथ हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा;	यथा उपरोक्त। कोई खनन अनुदान नहीं है वर्तमान नियमों एवं प्रावधानों यथा Mineral Evidence Rule के अंतर्गत खनिज प्रमाणित होने के पश्चात विधिवत अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गढ़वा जिला के रमुना प्रखण्ड अन्तर्गत चानाबरहिया में लाईम स्टोन खदान चालू कराने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः– वि0स0(ता0)–02/2018 125 /एम, राँची, दिनांक– 16.7.18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 3002 दिनांक 07.07.2018 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18

सरकार के उप सचिव

(11)

श्री पौलुस सुरीन, स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या टन–08 का प्रश्नोत्तरः

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत तोरपा प्रखण्ड में पेरवांघाघ सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्णित स्थल पर किसी भी प्रकार कार्य विभाग द्वारा नहीं किया गया है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** पेरवांघाघ खूँटी जिला के अन्तरजिला स्तर का एक पर्यटन स्थल है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त पर्यटक स्थल पर पर्यटकीय सुविधाएँ विकसित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2.	स्वीकृत्यादेश संख्या–67, दिनांक 24.03.2018 द्वारा पेरवांघाघ के विकास हेतु ₹75.00 लाख की स्वीकृति देते हुए उपायुक्त, खूँटी को राशि आवंटित कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/59/2018 975 /राँची, दिनांक 16/07/2018 /

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3118/वि०स०, दिनांक–10/07/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

(13)

श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-02

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत एग्यारकुण्ड प्रखण्ड अवस्थित B.S.K. College, मैथन में वर्त्तमान शैक्षणिक सत्र में कुल मिलाकर सात हजार छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं, जिसमें सिर्फ इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र एवं वाणिज्य संकाय के स्नातक (प्रतिष्ठा) में क्रमशः 100, 120, 150 एवं 350 छात्र-छात्रायें अध्ययनरत हैं;	अंशतः स्वीकारात्मक है। बी0एस0के0 कॉलेज, मैथन में करीबन पाँच हजार छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं। इतिहास में 200, भूगोल में 120, राजनीतिशास्त्र में 155 एवं वाणिज्य में 350 छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित उक्त स्नातक (प्रतिष्ठा) में अध्ययनरत इच्छुक छात्र-छात्राओं को स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष अन्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में जाना पड़ता है, जबकि उक्त महाविद्यालय स्नातकोत्तर की पढ़ाई कराने के लिए मुख्यतः सभी अर्हताएँ पूर्ण करती हैं;	अंशतः स्वीकारात्मक है। शिक्षकों की उपलब्धता एवं आधारभूत संरचना के आधार पर झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित) की धारा-4(17) के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ किये जाने का प्रावधान है। धनबाद जिलान्तर्गत पी0 के0 राय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद, एस0एस0एल0एन0टी0, धनबाद एवं आर0एस0पी0 कॉलेज, झरिया में पूर्व से ही स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय मुख्यालय में 21 विषयों में स्नातकोत्तर विभाग खोलने एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने हेतु बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद मुख्यालय में पदों का सृजन कर लिया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार B.S.K. College, मैथन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका-2 में संन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–59/2018...1413.../ रांची दिनांक–...16/07/18.../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-3084 दिनांक-09.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(14)

श्री पौलुस सुरीन मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 17.07.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–09 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री पौलुस सुरीन, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रखण्ड में खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा;	अस्वीकारात्मक। मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 608 दिनांक 20.04.2012 द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक स्टेडियम निर्माण का निदेश प्राप्त है। साथ ही विशेष खेल प्रक्षेत्रों में आवश्कतानुसार उपायुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त कर स्टेडियम निर्माण कराया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि हमारे विधान–सभा क्षेत्र के बानो प्रखण्ड मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे वहाँ के खिलाड़ियों को काफी कठिनाई हो रही है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में बानो प्रखण्ड मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव भूमि विवरणी सहित जिले से प्राप्त होने पर बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–60/2018 980 / राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 3117/वि०स० दिनांक 10.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(15)

श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.07..2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–05 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के बानो, जलडेगा, बासजोर ऐसे प्रखण्ड हैं जो जंगल से लगे हुए है और इन क्षेत्रों में लगातार हाथियों का प्रवेश होते रहता है और पूरे जिला में हाथियों का आंतक से जान–माल की क्षति होते रहती है ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि जान–माल की क्षति में सरकार द्वारा मुआवजा तो दिया जाता है, परन्तु हाथियों को भगाने के सिवा कोई स्थायी हल अभी तक नहीं की जा सकी है ;	जंगली हाथी पर्याप्त भोजन एवं जल की तलाश में स्वाभाविक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते है। जंगली हाथियों में परम्परागत मार्गों पर विचरण करने की आनुवंशिक प्रवृत्ति होती है। परम्परागत मार्गों में व्यवधान, वनों की सघनता में कमी के कारण पर्याप्त भोजन की अनुलब्धता के कारण हाथी अपने प्राकृतिक आवागमन पथों से विचलित होते हैं, जिसके कारण मानव–हाथी टकराव में वृद्धि होती है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हाथियों के आंतक से बचाने के लिए स्थायी हल करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जंगली हाथियों से टकराव कम करने हेतु स्थानीय लोगों में जागरूकता एवं सह अस्तित्व (Co-existence) की भावना ही इसका स्थायी हल है। जंगली हाथियों से बचाव हेतु वन विभाग द्वारा Quick Response team बनाई गई है तथा स्थानीय लोगों में एहतियात बरतने के उपायों की जानकारी भी दी जा रही है। जंगली हाथियों के लिए वनों में भोजन एवं पानी की उपलब्धता बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे है। इनमें बाँसो का वनरोपण एवं बाँस बखारों की सफाई शामिल है। वर्ष 2017 में मुआवजा राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–71 / 2018– 2998 व0प0, राँची, दिनांक– 16/07/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–3124 दिनांक–10.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/7/18

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

(16)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.07.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–02 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत गोड्डा–रामगढ़ मुख्य पथ के किनारे 5 करोड़ 46 लाख की लागत से जैव विविधता पार्क, गोड्डा का निर्माण वर्ष 2016–17 में पूर्ण कर लिया गया है ;	गोड्डा जिला अन्तर्गत गोड्डा–रामगढ़ मुख्य पथ के किनारे 546.042 लाख के लागत से बनने वाली जैव विविधता पार्क, सरकण्डा, गोड्डा में वर्ष 2014–15 में रू0 283.235 लाख एवं वर्ष 2015–16 में रू0 192.320 लाख व्यय कर उक्त दोनों वर्षों में निर्माण कार्य किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के राँची स्थित सिद्धो–कान्हों पार्क जैस अनेक पार्क को झार–पार्क द्वारा अधग्रहित किया गया है ;	झारपार्क द्वारा वर्ष 2018–19 से दो पार्क यथा सिद्धो–कान्हों पार्क एवं नक्षत्र वन के रख–रखाव का कार्य किया जा रहा है।
(3) क्या यह बात सही है राज्य के जैव विविधता पार्क लाख खटंगा, राँची को पार्क के रख–रखाव हेतु समुचित सरकारी सहायता प्राप्त होती है ;	स्वीकारात्मक।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गोड्डा जिला में नव निर्मित जैव विविधता पार्क को राज्य के अन्य पार्कों की तरह है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गोड्डा जिला में अवस्थित जैव विविधता पार्क का रख–रखाव वन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–64 / 2018– 2995 व0प0, राँची, दिनांक– 16/07/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2998 दिनांक–07.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/7/18

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(17)

2029
16/07/2018

श्री फूलचन्द मंडल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि–06

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत राजकीय मध्य विद्यालय, महुबनी को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा कई वर्षों से माँग किया जा रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत राजकीय मध्य विद्यालय, महुबनी में कक्षा–8 में नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या–31 है। प्रश्नाधीन विद्यालय से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बड़ाबाघमारा संचालित है, जिसमें वर्ग नवम में 17 तथा वर्ग दशम में 11 छात्र–छात्राएँ नामांकित हैं। प्रश्नाधीन विद्यालय उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की अर्हत्ता को पूरा नहीं करता है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7 / स.1वि-(i)-79 / 2018 2029 राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक 3075 दिनांक 09.07.2018 एवं उनके संदर्भ में अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

(18)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री राम कुमार पाहन, स.वि.स. से प्राप्त तारंकित प्रश्न संख्या- शि.-03

क्रमांक	प्रश्न **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -**	उत्तर **डॉ॰ नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नामकुम प्रखण्ड स्थित रा॰म॰ विद्यालय, टाटीसिलवे एवं रा॰उ॰म॰ विद्यालय, महिलौंग तथा अनगड़ा प्रखण्ड स्थित प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, अनगड़ा का भवन अत्यन्त जर्जर स्थिति में है जो कभी भी गिर सकता है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुतः तीनों विद्यालय वर्तमान में नए/अच्छे भवनों में शिक्षण कार्य संचालित हैं। जर्जर भवनों/कमरों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है उक्त विद्यालयों के जर्जर भवनों से छात्र-छात्राओं में हमेशा भय का माहौल बना रहता है और उक्त जर्जर भवन से कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है;	विभाग द्वारा जर्जर भवनों को तोड़ने का आदेश दिया जा चुका है, इसके आलोक में प्रक्रिया प्रारंभ है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्त स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के जर्जर भवनों को मरम्मति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

अकुशिह
16/7/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि॰स॰-06/18-1182 / राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 3000 दिनांक 07.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुशिह
16/7/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(19)

2031
16/07/2018

श्री फूलचन्द मंडल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि–07

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, आमटाल, उ0उ0वि0 करमाटांड, उ0उ0वि0 मोको, उ0उ0वि0 सिन्दरी बस्ती, उ0उ0वि0 दुधिया एवं उ0उ0वि0 दोलाबड़ में तथा गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, विराजपुर, उ0उ0वि0 जमडीहा एवं उ0उ0वि0 कशियाटांड (बड़ा पिछरी) में विद्यार्थियों के लिये निर्माणधीन नये विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य विगत कई वर्षों से लंबित है;	अद्यतन वस्तुस्थिति कंडिका–3 में स्पष्ट है।
2	क्या यह बात सही है कि विद्यालय भवनों का निर्माण लंबित होने के कारण भवनों की स्थिति अत्यंत ही खराब हो गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन भवनों का निर्माण कार्य संवेदक के लापरवाही के कारण पूरा नहीं हो सका है। निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में संवेदक के एकरारनामा को दण्ड सहित विखण्डित कर दिया गया है तथा उनकी सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया गया है। निविदा के माध्यम से हो रहे उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के निर्माण कार्य, जिसका कार्य संवेदक के लापरवाही के कारण पूरा नहीं हो सका है, उसका शेष कार्य संवेदक के एकरारनामा को दण्ड सहित विखण्डित करने के उपरांत, उपलब्ध शेष राशि से विद्यालय भवन का निर्माण उसी विद्यालय के विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के माध्यम से कराने के प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदनुसार कार्य जारी है। दिनांक–11.07.2018 को सभी निर्माणाधीन विद्यालयं भवनों का निरीक्षण जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद तथा जिले के सहायक एवं कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। विद्यालय भवनों की स्थिति संतोषजनक पाई गई है। प्रश्नाधीन उत्क्रमित उच्च विद्यालय, दुधिया एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, दोलाबड में भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण भूमि उपलब्ध कराने हेतु अपर समाहर्त्ता, धनबाद से अनुरोध किया गया है।

(19)

2031
16/07/2018

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित विद्यालय में नये भवनों का निर्माण कार्य पूरा करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णय के आलोक में विद्यालय भवन निर्माण का कार्य उसी विद्यालय के विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से प्रारंभ कराया गया है। भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	भवन की अद्यतन स्थिति
1.	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मोको	फिनिशिंग स्तर तक
2.	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सिन्दरी बस्ती	फिनिशिंग स्तर तक
3.	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जामडिहा	फिनिशिंग स्तर तक
4.	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, विराजपुर	प्रथम तल लिंटल स्तर तक
5.	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, कसियाटांड	प्रथम तल लिंटल स्तर तक
6.	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, आमटाल	भूतल छत स्तर तक
7.	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, करामाटांड	भूतल छत स्तर तक

भवन निर्माण का कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(हस्ताक्षर) 16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7 / स.1वि-(i)-80 / 2018...2031...... राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक 3074 दिनांक 09.07.2018 एवं उनके संदर्भ में अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

(20)

2028
16/07/2018

श्रीमती सीता सोरेन, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि–05

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिले के रामगढ़ जिले के रामगढ़ प्रखण्ड के ठाडीहाट में कई वर्षों पूर्व मॉडल विद्यालय बनाया गया था;	स्वीकारात्मक। रामगढ़ प्रखण्ड में ठाड़ीहाट में अवस्थित मॉडल विद्यालय का भवन निर्माण दिनांक 26.12.2015 को पूर्ण करते हुए हस्तगत कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त मॉडल विद्यालय में एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं हैं;	वस्तुस्थिति यह कि प्रश्नाधीन विद्यालय में दो प्रतिनियोजित शिक्षक द्वारा पठन–पाठन का कार्य संचालित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में शिक्षक बहाल करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं हो क्यों?	राज्य के प्रत्येक मॉडल विद्यालय में घंटी आधारित शिक्षक रखे जाने का प्रावधान है। मॉडल विद्यालयों में पठन–पाठन हेतु जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति द्वारा घंटी आधारित शिक्षकों का चयन किया जाता है। आवश्यकतानुसार शिक्षक का चयन करने हेतु संबंधित समिति सक्षम है।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7 / स.1वि.(i)-78 / 2018. 2028 राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक 3076 दिनांक 09.07.2018 एवं उनके संदर्भ में अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

(21)

16/07/2018

श्रीमती बबीता देवी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि–09

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत प्रखण्ड–गोमिया, पंचायत–कर्रीखुद स्थित मासी मारसाल उच्च विद्यालय, कजरकिलो द्वारा विगत 10 वर्षों से निःशुल्क विद्यालय चलाया जा रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय संचालन के कारण कंडिका–3 में वर्णित कार्रवाई की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में अति उग्रवाद प्रभावित एवं सुदुरवर्ती क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के 1083 गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है;	मासी मार्शल उच्च विद्यालय, कंजरकिरो में वर्ग–9 में 63 तथा वर्ग–10 में 51 छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत हैं।
3	क्या यह बात सही है कि पत्रांक–JAC/300/17, दिनांक 18.01.2017 को उपरोक्त विद्यालय को स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के सचिव द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो को पत्र भेजा गया था, लेकिन अभी तक उक्त संबंध में कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गई है;	सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची का पत्रांक–JAC/वि0स्था0/3497/16–1351/18 दिनांक 04.04.2018 द्वारा सत्र–2018–19 से दो वर्षों के लिए स्थापना अनुमति निर्धारित शर्त्तों के अधीन प्रदान की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विद्यालय को चालू वित्तीय वर्ष में स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में उत्तर सन्निहित है।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–7/स.1वि.(i)–82/2018.....2027..... राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक 3115 दिनांक 10.07.2018 एवं उनके संदर्भ में अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

श्री शशिभूषण सामाड़, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–उत–01

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत चक्रधरपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में अध्ययनरत करीब 7 हजार विद्यार्थियों को मौलिक सुविधा पर्याप्त क्लास रूम, मानक छात्र–शिक्षक अनुपात के अनुसार व्याख्याता काउंटर कलर्क पुस्तकालय रीडिंग रूम अन्य सुविधा का अभाव है;	जवाहर लाला नेहरू महाविद्यालय, चक्रधरपुर में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के मौलिक सुविधा यथा–नया क्लास रुम, नया विज्ञान भवन, लाईब्रेरी बिल्डिंग, स्टाफ कॉमन रूम, कॉमन रुम आदि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया है। विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु समीक्षाधीन है।
2.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उच्च स्तरीय कमिटी गठित कर जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–57/2018...1414.../ रांची दिनांक–...16/07/18.../

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–3005 दिनांक–07.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(24)

श्रीमती सीमा देवी, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 17.07.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–05 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती सीमा देवी, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय ज्ञापांक– 159/राँची, दिनांक 29.02.16 द्वारा संसूचित किया गया है कि सिल्ली मंच को अच्छादित करने एवं पीछे भवन तथा चाहरदीवारी निर्माण कार्य के संबंधित संवेदक का एकरारनामा विखंडित कर दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–03/राँची, दिनांक 17.05.2012 द्वारा योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति रहने तथा राशि आवंटित के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी संवेदक पर कार्रवाई के साथ अपूर्ण कार्य वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संबंधित दोषी संवेदक का एकरारनामा रद्द कर जमानत की राशि जब्त करते हुए काली सूची में नाम दर्ज करने हेतु अनुशंसा की गई है। अवशेष कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है। मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में निविदा आमंत्रण की कार्रवाई लम्बित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–56/2018 979 / राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 3121/वि०स० दिनांक 10.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

25

श्री प्रकाश राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या टन–07 का प्रश्नोत्तरः

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत चन्दवा प्रखण्ड के ग्राम–नगर में भी नगर भगवती मंदिर में हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा–अर्चना एवं भ्रमण हेतु आते है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मंदिर परिसर के अगल–बगल पहाड़ नदी एवं रमणीय स्थल है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार माँ नगर भगवती मंदिर स्थल को माँ भद्रकाली मंदिर, ईटखोरी के तर्ज पर पर्यटकीय क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	माँ नगर भगवती मंदिर, चन्दवा, लातेहार की पर्यटन संभावना ईटखोरी के समतुल्य नहीं है, अतः इसे माँ भद्रकाली मंदिर, ईटखोरी के तर्ज पर पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 58 / 2018 974 / राँची, दिनांक 16.07.2018

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3119 / वि०स०, दिनांक–10 / 07 / 2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

(26)

श्रीमती विमला प्रधान, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 17.07.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–04 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती विमला प्रधान, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय में एक–एक स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया है;	अस्वीकारात्मक। मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 608 दिनांक 20.04.2012 द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक स्टेडियम निर्माण का निदेश प्राप्त है। साथ ही विशेष खेल प्रक्षेत्रों में आवश्कतानुसार उपायुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त कर स्टेडियम निर्माण कराया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा विधान–सभा क्षेत्र के केरसई, पाकरताड़ प्रखण्ड में खेल स्टेडियम नहीं है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र एवं गुमला जिला के पालकोट प्रखण्ड में भी खेल स्टेडियम नहीं है;	अस्वीकारात्मक। सिमडेगा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा एक हॉकी स्टेडियम में एस्टोटर्फ स्वीकृत एवं पूर्ण है। साथ ही सिमडेगा मुख्यालय में अन्य श्रोतो से स्टेडियम निर्मित है। गुमला जिला के पालकोट प्रखण्ड में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में एक स्टेडियम स्वीकृत है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केरसई, पाकरताड़ और पालकोट में खेल स्टेडियम बनाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विदित हो कि गुमला जिला के पालकोट प्रखण्ड में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में एक स्टेडियम स्वीकृत है जिस हेतु भूमि उपलब्ध होने में देरी के कारण निर्माण कार्य प्रांरभ होना विलम्बित है। सिमडेगा के केरसई तथा पाकरताड़ प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव भूमि विवरणी सहित जिले से प्राप्त होने पर बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–55/2018 972 / राँची, दिनांक 16/07/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 3122/वि०स० दिनांक 10.07.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(27)

श्री कुणाल षड़ंगी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या टन–02 का प्रश्नोत्तरः

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रखण्ड चाकुलिया के कन्हाईसोर पहाड़ मंदिर वहाँ का एक दर्शनीय एवं प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** यह स्थानीय स्तर का पर्यटक स्थल है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पर्यटन स्थल के दर्शन हेतु उड़िसा बंगाल, झारखण्ड के दूर–दराज स्थानों से लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते रहते है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक** मंदिर के आस–पास के लोग दर्शन हेतु आते हैं। मंदिर की स्थिति प० बंगाल तथा उड़िसा के सीमावर्ती क्षेत्र में होने के कारण प० बंगाल एवं उड़िसा के मंदिर के समीप के क्षेत्र के कुछ लोग भी दर्शन हेतु आते हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि कन्हाईसोर पहाड़ पर सीढ़ी निर्माण की मांग वहाँ की जनता द्वारा वर्षो से की जा रही है;	3.	**अस्वीकारात्मक** विगत दो वर्षो में किसी आम जनता से इस कार्य हेतु विभाग में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में कन्हाईसोर पहाड़ पर सीढ़ी निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	जैसा कि कंडिका–1 में वर्णित है, प्रश्नाधीन स्थल स्थानीय स्तर का पर्यटक स्थल है। इस प्रकार के स्थलों के विकास हेतु जिला स्तर पर अनुशंसा करने के लिए जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि भी सदस्य हैं। इस समिति के अनुशंसा के अनुसार उपायुक्त द्वारा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों का विकास कार्य कराया जाता है। स्वीकृत्यादेश संख्या–64, दिनांक–24.03.2018 तथा इसके आलोक में निर्गत आवंटनादेश संख्या–85, दिनांक–24.03.2018 द्वारा उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को ₹ 50.00 लाख Untied Fund उपलब्ध कराया गया है, जिससे जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय पर्यटक स्थलों का विकास कराया जा सकेगा। अतः प्रश्नाधीन कार्य जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा एवं उपलब्ध बजट (निधि) पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

<u>पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग</u>

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/52/2018 973 /राँची, दिनांक 16/07/2018 /

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–3003/वि०स० दिनांक–07/07/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के अपर सचिव

(28)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री दशरथ गागराई, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-02

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसावाँ जिला के कुचाई प्रखण्ड के शिक्षकों ने प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री राजीव रंजन पर भयादोहन का आर्थिक शोषण करने का शिकायत उपायुक्त से की है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि श्री राजीव रंजन के विरूद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;	वस्तुस्थिति यह है कि उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-1333/गो., दिनांक 24.06.2018 के प्रतिवेदनानुसार श्री राजीव रंजन, तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कुचाई को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश संख्या-1085, दिनांक 02.07.2018 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कुचाई के प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री राजीव रंजन के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में सन्निहित है।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व.3-03/2018.....1179...../ राँची, दिनांक .....16/07/.....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2999 दिनांक 07.07.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(29)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.07..2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–03 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि अपर समाहर्त्ता राँची के द्वारा राँची जिला के खलारी अंचल अंतर्गत बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण हेतु मौजा कोनका, थाना नं0–08, खाता नं0–26, प्लॉट नं0–102, रकबा–0.40 एकड़ गैर मजरूआ भूमि पर अपर समाहर्त्ता रांची के पत्रांक 2949 जी दिनांक 28.11.13 को वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची को भेजा जा चुका है ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपर समाहर्त्ता राँची के पत्रांक– क्रमांक–2948W, 2950D & 2949G दिनांक–28.11.13 के द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची को भेजा जा चुका है ;	अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा अपने पत्रांक 2949(II)/रा0 दिनांक–28.11.2013 द्वारा खेलारी अंचल के मौजा–कोनका, थाना नं0–08, खाता नं0–26, प्लॉट संख्या–102, रकबा–0.40 एकड़ गैर मजरूआ भूमि किस्म जंगल झाड़ी भूमि पर बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण हेतु भूमि के हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की गई है, ना कि उनके द्वारा अनापत्ति दी गई है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज में बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उक्त उल्लेखित भूमि वन भूमि की श्रेणी में आती है, वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकता है। प्रयोक्ता अभिकरण (सरकारी विभाग सहित) से वनभूमि पर विषयांकित गैर वानिकी कार्य करने हेतु उपरोक्त उल्लेखित अधिनियम के तहत् विहित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त होने पर विषयांकित संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–65/2018– 2993 व0प0, राँची, दिनांक– 16/07/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–3080 दिनांक–09.07.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/7/18

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव